कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

पता : खेल स्टेडियम के पीछे, वार्ड नं. 16 [illegible] सेन्टर टीकमगढ़ म.प्र. 472001

ई-मेल : dfotkmgar@mp.gov.in फोन नं. : 07683-[illegible]5315 फैक्स नं. : 245315

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 79 टीकमगढ़, दिनांक – 08/01/22

प्रति,

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई टीकमगढ़

विषय :– निवाड़ी–पृथ्वीपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में पाईप लाईन बिछाने हेतु अनुमति बावत् । **Praposal No FP/ MP/Water/144241/2021**

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 65 दिनांक 05.01.2022 एवं प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / 2022 / 10–11 / 66 दिनांक 07.01.2022

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक–2 से भारत सरकार के द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यु की संशोधित दरें निर्धारित की गई है, को प्रेषित किया गया है।

अतः आप नेट प्रजेन्ट वैल्यु की संशोधित दरें अनुसार इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक–4 में संशोधित करते हुये निम्न अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यु की राशि कैम्पा मद में जमा कर जमा राशि का विवरण यू.टी.आर. नंबर सहित प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके :–

प्रकरण में प्रभावित वन भूमि (हे.में.)	नेट प्रजेन्ट वैल्यु की राशि पर प्रति हेक्टेयर	जमा करने हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यु की राशि रुपये में
2.022 हेक्टेयर	1228590/– रुपये प्रति हेक्टेयर	2484209.00

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़

पृ. क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 80 टीकमगढ़, दिनांक– 08/01/22

प्रतिलिपि :–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ **सम्प्रेषित।**

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़

2022-1-8 18:09

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

पता : ईको सेन्टर ढोंगा स्टेडियम के पास वार्ड नं. 15 के समीप टीकमगढ़ म.प्र. 472001
ई–मेल : dfotkmgar@mp.gov.in फोन न. : 07683-245315 फेक्स नं. : 245315

क्रमांक / सरक्षण / 2022 / 65 टीकमगढ़, दिनांक – 05/01/2022

प्रति,

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना
क्रियान्यवन ईकाई टीकमगढ़ (म.प्र.)

06/01/2022 M(D)

15 06/01/2022

विषय :– निवाड़ी जिले के टीकमगढ़ वन मण्डल में निवाड़ी–पृथ्वीपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 2.022 हैक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, निवाड़ी को उपयोग पर देने वावत् (ऑन लाईन प्रकरकण क्रमांक FP/MP/WATER/144241/2021)

सन्दर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 2022 / 10–11 / 30 भोपाल दिनांक 5.1.2022 एवं आपका पत्र क्र. / 1893 दि. 27.12.2021

विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से वन मण्डल टीकमगढ़ अन्तर्गत निवाड़ी–पृथ्वीपुर ग्रामीण जल समूह प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुमति वावत् प्रस्ताव ऑनलाईन व हार्ड कॉपी प्रस्तुत की गई थी, मौके का सत्यापन उपरान्त भाग–2 की पूर्ति कर प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किये गये थे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र से प्रकरण में सैधान्तिक स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। तदानुसार ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी हेतु पाईप लाईन डाली जाने हेतु निम्न प्रकार 2.022 हैक्टेयर क्षेत्र क्षेत्रीय वन मण्डल अन्तर्गत होने से सैद्धातिक रूप से निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रथम चरण की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	सबरेंज का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	लम्बाई (मीटर में)	चौडाई (मीटर में)	रकवा (हे.में.)
1	निवाड़ी	पृथ्वीपुर	बंजारीपुरा	P 219	2470	1	0.247
2	निवाड़ी	पृथ्वीपुर	बिरोराखेत	P 224 A	854	1	0.085
3	निवाड़ी	पृथ्वीपुर	बंजारीपुरा	P216	1169	1	0.117
4	निवाड़ी	जेरोन	मडिया	P 183 B	1470	1	0.147
5	निवाड़ी	जेरोन	बीरसागर	P 181	3655	1	0.366
6	निवाड़ी	जेरोन	बीरसागर	P 182 A	623	1	0.062
7	निवाड़ी	पृथ्वीपुर	ज्यार	P 185 B	1230	1	0.123
8	निवाड़ी	जेरोन	बीरसागर	P 182 B	2861	1	0.286
9	निवाड़ी	जेरोन	बीरसागर	P 178	2787	1	0.278
10	निवाड़ी	जेरोन	बीरसागर	P 179	3105	1	0.311
				Total	20224	1	2.022

शर्त निम्नानुसार है :–

1. यह स्वीकृति अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए मान्य नहीं होगी।
2. भूमि का वैद्यानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

3. प्रस्तावित कार्यो के दौरान वन क्षेत्र में किसी भी वृक्ष को काटा व हानि नहीं पहुँचाई जावेगी।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार व्यपवर्तित वन भूमि हेतु नेट प्रजन्ट वेल्यू की राशि 2.022 हैक्टेयर का 8.45 लाख रूपये प्रति हैक्टयर से 1708590/- (सत्तरह लाख आठ हजार पाँच सौ नब्बे रूपये मात्र) का भुगतान कैम्पा खाते मे जमा करते हुये जमा राशि का विवरण यू.टी.आर. नम्बर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

5. राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली यह अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किये जाने की शर्त के अधीन मान्य होगी।

6. यह वन भूमि प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन माना जावेगा। ऐसे प्रयोजनों मे बदलाव हेतु राज्य शासन के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

7. वनभूमि के हस्तातरण से पूर्व अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पारम्परिक निवासी वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

8. परियोजना क्षेत्र में बसे हुये आदिम जाति (Primitive Tribal Communities) एवं कृषि-पूर्व समुदाय की मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

9. वनों के संरक्षण, अनुसरण तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा।

10. उपयोगकर्ता ऐजेन्सी क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि 5564463/- (पचपन लाख चौसठ हजार चार सौ तिरेसठ रूपये मात्र) का भुगतान कैम्पा खाते में जमा करते हुये जमा राशि का विवरण यू.टी.आर. नम्बर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

11. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि उसके चारों ओर क्षेत्र में स्थित जीव जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथ उसको संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगा, अभिकरण द्वारा किया जावेगा।

12. उपयोगकर्ता कार्य प्रारंभ के पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि वन संरक्षण की पुष्टि से राज्य शासन / केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह उसे मान्य होगी।

13. निर्माण कार्य के दौरान वन क्षेत्र के अन्दर अथवा वनभूमि से 250 मीटर की परिधि से किसी प्रकार के उत्खनन अथवा पत्थरों को तोड़ने की कोई अनुमति नहीं होगी। वनक्षेत्र के बाहर से प्राप्त कर परिवहन की गई निर्माण सामग्री का निर्माण कार्य हेतु उपयोग किया जावेगा।

14. वनभूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जावेंगे।

15. सूर्य अस्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

16. कार्य के दौरान वनभूमि में कोई भी प्लांट / मशीनरी नहीं लगाई जावेगी।

17. यदि आवेदक / आवेदक संस्थान या उनके ठेकेदार के द्वारा वनभूमि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाई जाती है तो वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई राशि आवेदक / आवेदक संस्थान से देय होगी। ठेकेदार द्वारा किये गये किसी भी उल्लंघन के लिये आवेदक संस्थान उत्तरदायी होगे।

18. संयुक्त निरीक्षण में प्राप्त जी.पी.एस. रीडिंग के अधीन ही कार्य किया जावेगा।

यह स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। कृपया आप शर्त क्र. 01 से 18 तक शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं एन.पी.व्हीं एवं क्षतिपूर्ति बैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि कैम्पा खाते में जमा करते हुये शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि शासन निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही पश्चात् कार्य संपादन हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा सके। बिलम्ब की स्थिति में आप स्वयं जबावदेय होंगे।

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ

पृ. क्रमाक / मा.चि. / 2022 / 66 टीकमगढ, दिनांक- 05/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के सबंध में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला-निवाड़ी म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वनपरिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ